(4)टेलीबिसा, मेक्सिको-डी0डी0-2 चैनल पर प्रायोजकता आधार पर।

(5)ट्रान्सटेल, जर्मनी- डी1डी0-1 तथा डी0डी-2चैनल पर अधिग्रहण आधार पर।

(ख)जी, नहीं।

बैंक द्वारा दिए गए ऋण

189. **श्री मोहम्मद सलीम**:

प्रो0 विजय कुमार मल्होत्रा :

श्री नीलोत्पल बसु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या यह सच हैं कि अने व्यक्तियो और कम्पनियों ने बैंकों का 30,000 करोड़ रूपए से अधिक का ऋण वापस नहीं लौटाया हैं;

(ख)क्या यह सच हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के बावजूद बैंक-अनेक उन्हीं अदायगी न करने वाले व्यक्तियों और कंपनियों को ऋण देते जा रहे हैं; और

(ग)सरकार उक्त धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठा रही हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम0वी0 चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया हैं कि 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा संदिग्ध या हानिवाले परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत कुल परिसंपत्तियां 27390.12 करोड़ रूपए की थी।

(ख)भारतीय रिजर्व बैंक का आंकड़ा सूचना प्रणाली से बैंकों द्वारा चूक करने वाली उधारकर्त्ता कंपनियों/ फर्मों को दिए गए नए ऋणों / अतिरिक्त ऋणों/ अग्रिमों की राशि के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होती हैं।

(ग)बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 बैंको और वित्तीय संस्थाओं की देय ऋणों के शीघ्र न्यायनिर्णयन और वसूली के लिए अधिकारणों की स्थापना करने का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया हैं। ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना कलकत्ता, दिल्ली, बंगलौर, जयपुर और अहमदाबाद मे की गई हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ से भी अनुरोध किया हैं कि वे अपने सदस्य बैंकों को ऋण वसूली के अधिक से अधिक मामले लोक अदालतों/ न्यायलयों के पास ले आने और डन्हें निष्पक्ष समझौतों के माध्यम से निपटने के लिए प्रोत्साहित करें।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने उन उधारकर्त्ताओं की एक सूची परिचालित की हैं, जिनकी बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं के नाम बकाया राशियां एक करोड़ रूपए और इससे अधिक है तथा जिनके खातों की बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा "संदिग्ध" या "हानि" वाले खातों के रूप में वगीकृत किया गया है या जिनमें मुकदमें दायर किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैकों/वित्तीय संस्थाओं को अनुदेश दिया हैं कि वे सूची में शामिल चूक करने वाले उधारकर्त्ता एककों, मालिकों/भागीदारों/निदेशकों आदि द्वारा अपने नाम से या अन्य एकाकों के नाम से, जिनसे वे संबद्ध हैं, नई या अतिरिक्त ऋण सीमाओं के अनुरोध पर गुण-दोषो के आधार पर विचार करते समय इस सूचना का उपयोग कर सकते हैं।

समाज कल्याण के लिए निर्दिष्ट किया गया विदेशी ऋण

190. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या सरकार विदेशी ऋणों के संबंध में श्वेत पत्र सभा-पटल पर रखने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक; और

(ख)इस समय विदेशी ऋण की कुल धनराशि कितनी हैं और इसमें से कितनी धनराशि समाज कलयाण के कार्यो के लिए निर्धारित की गई हैं; इसकी ब्याज दर कितनी हैं और इसकी अदायगी कब तक करनी हैं?

वित्त मंत्रालय में राजय मंत्री (श्री एम0 वी0 चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सरकार भारत के विदेशी ऋण की स्थिति पर श्वेत पत्र लाने का विचार कर रही है, जिसके नवम्बर, 1995 मे उपलब्ध होने की संभावना की गई हैं।

(ग) दिनांक 31.3.1995 के अनुसार सरकारी खाते में चालू विदेशी ऋणों/अनुदानों का कुल मूल्य 94,189 करोड़ रूपए की राशि थी, जिसमें से सामाजिक क्षेत्र से संबंधित ऋणों अनुदानों का मूल्य 11,157 करोड़ रूपए था।

सामाजिक क्षेत्र परियोजनाओं के लिए ऋण साधारणतया रियायती शर्तों पर हैं। ब्याज की दर 0.75 प्रतिशत से 2.50 प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न हैं। अदायगी की